यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) VII, राज्य कर देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) VII, राज्य कर देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.05.2018 से 29.05.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.05.2017 से 26.05.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ट्रेडिंग ठेकेदार कार्य**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	39199.33
2016-17	46230.45
2017-18	84.27 (04/17 से 06/17)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17			
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) VII, राज्य कर देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2 (ख)

प्रस्तर – 01 कर एवं अर्थदण्ड का न्यूनारोपन ₹ 8.07 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(ii) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसुची-III में सम्मिलित विशेष प्रवर्ग के माल 'सिगरेट' के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय किये जाने पर 20% के करदेयता निर्धारित की गई है|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा –58(1)(xiv) के अनुसार यदि व्यौहारी द्वारा मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा जाता है अथवा प्रस्तुत किया जाता है, तो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –VII वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री वी० एस० टी० इंडस्ट्रीज लि०, देहरादून स्वत: कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में सिगरेट की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार दर्शाई गयी थीः-

प्रारंभिक रहतिया – ₹ 9,88,746/-

क्रय - ₹ 1,94,89,700/-

योग - ₹ 2,04,78,446/-

अतिम रहतिया – ₹ 14,69,585/-

बिक्री होनी चाहिए थी – ₹ 1,90,08,861/-

परन्तु व्यापारी द्वारा प्रदर्शित बिक्री – ₹ 1,63,16,794/- दिखाई गयी।

अत: छिपाई गयी बिक्री ₹ 26,92,067/- पर 20% की दर से ₹ 5,38,414/- का कर आरोपणीय था एवं नियमानुसार न्यूनतम 50% अर्थदण्ड ₹ 2,69,207/- भी आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व के वर्षो में भी व्यापारी द्वारा हानि के साथ व्यापार किया गया है| इस वर्ष ₹ 2692067/- की हानि है| यह उसका व्यापारिक ट्रेंड है|

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संगत वर्ष में ₹ 26,92,067/- की हानि का उल्लेख व्यापारी द्वारा दाखिल विवरणी में नहीं किया गया तथा इकाई द्वारा उक्त हानि के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था| यदि हानि में व्यापार करना उसका व्यापारिक ट्रेंड है तो कर निर्धारण अधिकारी को इसकी जाँच करनी चाहिए थी जो नहीं किया गया।

अत: प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2(क)

प्रस्तर स 01- कर का न्यूनारोपण ₹ 18.29 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –VII राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री एलस्ट्रोंग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में ₹ 2,15,29,083/- की Aluminium Sheet की बिक्री 5% की दर से की गयी थी|

व्यापारी की संगत वर्ष की पत्रावली की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा 44 फॉर्म -16 के माध्यम से ₹ 2,35,31,853/- का Aluminium Composite Panel का आयत किया गया था इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा Alluminium composite panel की बिक्री की गई जो उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 के किसी भी अनुसुची से आच्छादित नहीं थी| अत: उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपनिय होगा| इस प्रकार Aluminium Composite Panel की कुल बिक्री ₹ 2,15,29,083/- पर अन्तरीय दर 8.5% से ₹ 18,29,972/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिस पर नियामानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 की धारा 4(2) की अनुसुची II(b) की प्रविष्टी संख्या 10/47 से आच्छादित थी जिसपर नियामानुसार कर आरोपित किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि Aluminum Composite Panel प्रविष्टी संख्या 10 [Aluminium, Aluminium alloy, their products (excluding extrusion)], एवं प्रविष्टी संख्या 47 [Ferrous and non ferrous Metals and alloys; non metals such as aluminium, copper, zinc and extrusion of those] से आच्छादित नहीं थी क्योंकि Alluminium Composite panel न तो पूरी तरह Metal है, न ही पूरी तरह non-metal है | यह metal एवं non-metal (Plastic) का सयोंजन (Combination) है जिसमे दो alluminium sheet (coil) के बीच में LDPE/HDPE Plastic Sheet(नॉन-टॉक्सिक पॉलिथीन कोर) को adhesive material के द्वारा दोनों साइड से चिपकाया (affixed) जाता है| इसे बेहतर दिखाने के लिए इस पर primer लगाने के बाद कलर कोटिंग की जाती है|

अत: यह वस्तु उपरोक्त प्रविष्टीयों से अच्छादित नहीं है एवं अवर्गीकृत की श्रेणी में आती है|

अत: प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया| जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

<u>भाग 2(ख)</u>

<u>प्रस्तर स-02 कर का अनारोपन ₹ 29.03 लाख</u>

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची से भिन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता **12.5 %** की दर से निर्धारित की गई है| दिनांक **01.04.2010** से अवर्गीकृत वस्तुओ पर 1% की अतिरिक्त कर देयता होगी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –VII राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री सीएट लिमिटेड, एच० सी० ल० कंपाउंड, देहरादून स्वत: कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा **₹ 42,55,99,806/-** की टायर तथा टयुब आदि की प्रांतीय बिक्री की गई थी तथा व्यापारी द्वारा **₹ 40,40,91,190/-** की बिक्री पर कर अदा किया गया था व्यापारी द्वारा प्रस्तुत व्यापार खाता **(Trading Account)** में **₹ 1,28,90,544/-** का डिस्काउंट तथा **₹ 86,18,072/-** का **claim Loss** प्रदर्शित किया गया था| इस प्रकार व्यापारी द्वारा कुल **₹ 2,15,08,616/-** पर कर नहीं दिया गया था क्योंकि उक्त राशि भी बिक्री का हिस्सा था जिस पर 13.5% की दर से **₹ 29,03,663/-** का अतिरिक्त कर आरोपणीय था एवं साथ ही नियामानुसार ब्याज भी देय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि धारा 25(क) के अंतर्गत स्वत: कर निर्धारण योजना में यदि व्यापारी की वार्षिक विवरणी दाखिल हो तो उसके आकड़ो को स्वीकार कर इस योजना का लाभ दिया जाना था। इस योजना के अंतर्गत साक्ष्य दाखिल करने की बाध्यता नहीं थी|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में डिस्काउंट तथा क्लेम लोस का उल्लेख नहीं किया गया था साथ ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-03 अर्थदण्ड का अनारोपन ₹ 2.70 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –VII राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि 02 व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 2,701,412/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार ₹ 2,70,141/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी से युक्ति युक्त कारण जाना जायेगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

(संलग्नक विवरण)

क्र स.	**व्यापारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की दिनाक**	**कर की धनराशि**	**आरोपनीय अर्थदण्ड**
1.	**सर्वश्री क्वालिटी होम एप्लाइसेंस, देहरादून / टिन –** 05010928433	2013-14	04/2013	04.06.2013	272155	27215.5
			05/2013	08.07.2013	322894	32289.4
			06/2013	07.08.2013	224805	22480.5
			11/2013	02.05.2014	331412	33141.2
			12/2013	17.02.2014	268010	26801.0
			01/2014	11.03.2014	275777	27577.7
			02/2014	10.04.2014	362571	36257.1
			03/2014	10.05.2014	376278	37627.8
2.	**सर्वश्री बालाजी ऑटोमेशन देहरादून /** 05000477750	2014-15	04/2014	31.05.2014	195000	19500.0
			05/2014	30.06.2014	72510	7251.0
Total					**27,01,412**	**2,70,141**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
23/2017-18		01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
23/2017-18		01,02,03		

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) VII, राज्य कर देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अभिलेखों की सूची दी गयी किन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ऑडिट मेमों से 0663/58 का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री प्रवीण गुप्ता	डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-VII राज्यकर देहरादून

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) VII, राज्य कर देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र